उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या–22/2020/1106/77-6-2020-एल0सी0-4/2018
लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2791/77-6-2018-एल.सी.4/2018 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली के प्रस्तर-2 शीर्षक "परिभाषाएं" के उपप्रस्तर-2.4 को निम्नवत् संशोधित किये जाने तथा नए उपप्रस्तर-2.22, 2.22.1 एवं 2.22.2 को जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
2.4- 'स्वीकार्यता की तिथि' का तात्पर्य नीति के अन्तर्गत सुविधाओं के आहरण के प्रयोजनार्थ उस तिथि से है जिस पर नीति के अन्तर्गत परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क/ परियोजनाओं द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार पात्र पूँजी निवेश की न्यूनतम सीमा प्राप्त कर स्थापित किया जा चुका हो।	2.4- 'स्वीकार्यता की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है, जो उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के आहरण के लिए उपयोग की जाए। यह वह तिथि है, जिस पर नीति के अनुच्छेद-3.2 में पारिभाषित एक पात्र इकाई द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार उपयुक्त पूँजी निवेश की सीमा प्राप्त करने के बाद वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ किया जाए। बशर्ते कि जब पूंजी निवेश चरणों में किया जाए, तब पात्र इकाई द्वारा न्यूनतम एक चरण का वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ कर दिया गया हो तथा प्रोत्साहन के संवितरण हेतु अनुरोध के पूर्व स्वीकार्यता तिथि आ गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसी पात्र इकाईयॉ जो प्रभावी तिथि के पश्चात् उत्पादन में आयी हैं, लाभ के लिए पात्र होंगी। पात्र इकाई द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ कर दिया गया हो तथा इस तथ्य को संबंधित उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र अथवा एक चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2.22 "निवेश की पात्र अवधि" का तात्पर्य ऐसी अवधि से है, जोः-

2.22.1 नीति के अनुच्छेद 3.2.2, 3.2.3 और 3.2.4 के अन्तर्गत परिभाषित वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयों के प्रकरण में, इन नियमों की प्रभावी अवधि में पड़ने वाली निर्दिष्ट तिथि (cut of date) से प्रारम्भ हो कर 3 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

2.22.2 नीति के अनुच्छेद 3.2.1 के अन्तर्गत परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क के प्रकरण में, इन नियमों के प्रभावी अवधि में पड़ने वाली निर्दिष्ट तिथि (cut of date) से प्रारम्भ हो कर 5 वर्ष की अवधि अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, तक होगी। इस अवधि के दौरान विकासकर्ता द्वारा नीति में परिभाषित प्रमुख (कोर) लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए कुल पार्क क्षेत्र का न्यूनतम 80 प्रतिशत क्षेत्र तथा संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के लिए कुल पार्क क्षेत्र का न्यूनतम 20 प्रतिशत क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए।

2. कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2791/77-6-2018-एल.सी.4/2018 दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के क्रियान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त/नियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:22/2020/1106(1)/77-6-20-एल0सी0-4/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
5. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव एवं समस्त अनुभाग।
6. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को नियमावली की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया नियमावली की 1500 प्रतियॉ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियॉ प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।